राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2327/2024

श्रीमती इन्दिरा देवठिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. उप निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरू।
5. अस्पताल अधीक्षक, श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय, सीकर।
6. प्रभारी, सीएचसी, तारानगर, चूरू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.07.2024
आदेश की दिनांक : 30.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री धीरज गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नेत्र सहायक के पद पर श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय, सीकर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 27.08.2018 के द्वारा नेत्र सहायक के पद पर की गई और दिनांक 27.08.2018 को ही अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी ने स्वयं के पारिवारिक कारणों से परिवीक्षा काल में दिनांक 11.06.2019 से 25.06.2019 तक 15 दिवस का एवं 10.11.2019 से 01.12.2019 तक 22 दिवस का कुल 37 दिवस का अवैतनिक अवकाश लिया। उक्त अवकाश स्वीकृत

हेतु प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किये गये और इस प्रकार अवैतनिक अवकाश को लगभग 3.5 वर्ष होने के उपरांत भी आज दिनांक तक निर्णय नहीं लिया गया, जिसके कारण अपीलार्थी का परिवीक्षा काल पूर्ण होने के पश्चात् भी नियमितिकरण एवं स्थायीकरण के आदेश जारी नहीं हुये हैं और अपीलार्थी को लम्बे समय से नियत पारिश्रमिक पर ही कार्य करना पड़ रहा है। जबकि परिवीक्षा काल पूर्ण हुये एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को आज दिनांक तक नियमितिकरण एवं स्थायीकरण नहीं किया गया। अपीलार्थी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है और उसके साथ नियुक्त सभी कर्मचारियों को नियमित वेतनमान एवं वेतन वृद्धियों का लाभ दिया जा रहा है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी ने जो अवैतनिक अवकाश लिये हैं, उनका निराकरण किसी भी रूप में नहीं किया गया है, जो सेवा नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को नियुक्ति दिनांक से उसे नियमानुसार 2 वर्ष का परिवीक्षा काल पूर्ण करने पर स्थायी घोषित किये जाने का आदेश जारी किया जावे और अपीलार्थी द्वारा जो स्वयं के द्वारा पारिवारिक कारणो से 37 दिवस का परिवीक्षा काल में अवैतनिक अवकाश लिया गया है, उन्हें नियमानुसार स्वीकृत किया जावे और परिवीक्षा काल पूर्ण होने की दिनांक से नियमानुसार वेतन नियमित किया जावे तथा समस्त लाभ, वेतन वृद्धियां आदि प्रदान किये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी की अपील के संबंध में अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर दिये गये और नोटिस तामील कराये जाने के संबंध में दिनांक 18.09.2024 को आदेश भी जारी किया गया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अपील के संबंध में कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन नेत्र सहायक के पद पर श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय, सीकर में कार्यरत है। अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 27.08.2018 के द्वारा नेत्र सहायक के पद पर की गई और दिनांक 27.08.2018 को ही अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। जहां तक अपीलार्थी को परिवीक्षा काल पूर्ण होने

पर नियमितिकरण एवं स्थायी नहीं किये जाने और वेतन निर्धारण किये जाने के आदेश जारी नहीं किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 27.08.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ, चूरू द्वारा जारी किया गया है, जिसमें अपीलार्थी को नियत पारिश्रमिक 2 वर्ष के परिवीक्षा काल पर रूपये 14,600/– प्रतिमाह पर नियुक्त किया गया है और अपीलार्थी को सीएचसी, तारानगर, चूरू पदस्थापित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का पदस्थापन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है और अनुलग्नक–3 जिसके द्वारा अपीलार्थी ने नेत्र सहायक पद पर कार्यग्रहण करने के संबंध में सूचित किया, परंतु अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमितिकरण की कार्यवाही एवं स्थायीकरण के आदेश जारी नहीं किये गये, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन भी दिनांक 11.01.2024 को प्रस्तुत किया। परंतु विभाग द्वारा उसका कोई निराकरण नहीं किया गया, जो सेवा नियमों के अनुसार उचित प्रकट नहीं होता है। अपीलार्थी लगभग 5 वर्ष से सेवायें दे रही है, परंतु आज दिनांक तक उसका नियमितिकरण एवं स्थायी किये जाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और न ही अपीलार्थी का वेतन निर्धारण किया गया है, जो न्याय संगत प्रकट नहीं होता है। अतः हम उक्त तर्कों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी को सेवा नियमों के अनुसार स्थायीकरण/नियमितिकरण का आदेश जारी करते हुये एवं उसके द्वारा जो अवैतनिक अवकाश लिये गये हैं, उनका निराकरण करते हुये वेतन वृद्धि आदि का लाभ के संबंध में आदेश जारी किये जावें एवं समस्त सेवा लाभ आदि प्रदान किये जावें। उक्त निर्देशों की पालना चार सप्ताह में सुनिश्चित की जावे।

अतः उक्त निर्देशों के साथ अपील अंतिम रूप से मय स्थगन प्रार्थना पत्र के निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष